विभाग का नाम :–खाद्य संरक्षा विभाग,

विभाग का पता :–_आठवां तल, मयुर भवन, क्नॉट प्लेस, नई दिल्ली. 110001

ताराकित/अतांराकित प्रश्न संख्या :– 178–अतारांकित

दिनांकः– 21–03–2018

प्रश्नकर्त्ता का नाम :–सुश्री राखी बिड़ला

क्या उपमुख्यमंत्री/मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि :–

	प्रश्न	उत्तर
क	क्या मंगोलपुरी विधान सभा क्षेत्र में आये दिन फास्ट फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स, मिठाई इत्यादि की जो दुकानें खुल रही हैं, क्या उनको संबंधित विभाग द्वारा लाईसेंस दिया जा रहा है	जी हॉ, खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा उपरोक्त व्यपारियों को खाद्य संरक्षा लाईसेंस जारी एवं पंजीकरण दिया जा रहा है।
ख	यदि हॉ, तो क्या इन लाईसेंसों का प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा पाक्षिक/मासिक या निर्धारित अवधि में निरीक्षण किया जाता है, निरीक्षणों की रिपोर्ट का सबूत के साथ ब्यौरा दें,	खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों की दुकानों एवं गोदामों में औचक निरीक्षण किया जाता है और खाद्य पदार्थों के नमूने नियमित रूप से जांच के लिए जाते हैं। परन्तु विभाग में खाद्य संरक्षा अधिकारी एवं नामित अधिकारियों की कमी के कारण वर्तमान में जारी किए गए लाईसेंस/पंजीकरण का निरीक्षण कार्य नहीं हो पा रहा है। 17 नये खाद्य संरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी है। भविष्य में इस संबंध में उचित कार्रवाई की जाएगी।
ग	यदि लाईसेंस जारी नहीं किए गए हैं तो क्या ऐसी अनाधिकृत दुकानों के विरूद्ध कार्रवाई की गई है,	वर्तमान में विभाग में अधिकारियों की कमी के कारण बिना खाद्य संरक्षा लाईसेंस/पंजीकरण वाले दुकानदारों के विरूद्ध प्रभावी

		कार्रवाई नहीं हो पा रही है। परन्तु विभाग द्वारा आवेदक दुकानदारों को लाईसेंस देने की प्रक्रिया सत्त जारी है। 17 नये खाद्य संरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी है। भविष्य में इस संबंध में उचित कार्रवाई की जाएगी।
घ	यदि नही ंतो उसके क्या कारण हैं,	उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।
ड़	यदि हां तो पूर्ण विवरण उपलब्ध करायें,	मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में अबतक कुल 584 दुकानदारों को विभाग द्वारा लाईसेंस /पंजीकृत किया गया है।
च	क्या मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में खुले एवं अवैध तरीके से बिक रहे मांस की दुकानों पर अंकुश लगाने पर सरकार विचार कर रही है, और	जी हां। विभाग में खाद्य संरक्षा अधिकारियों की कमी है। वर्तमान में 17 नये खाद्य संरक्षा अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, उनके प्रशिक्षण उपरांत मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में खुले एवं अवैध तरीके से बिक रहे मांस की दुकानों पर अंकुश लगाने हेतु खाद्व संरक्षा अधिनियम, 2006 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
छ	यदि हां तो इसका पूर्ण विवरण दें?	उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।